क्रम-संख्या–55

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2026

फाल्गुन 6, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 66 / 79-वि-1–2026-1-क-6-2026

लखनऊ, 25 फरवरी, 2026

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 फरवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(ग) वर्ष 2026—2027, 2027—2028, 2028—2029, 2029—2030 और 2030—2031 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक तीन प्रतिशत पर बनाये रखेगी;"

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(च) यह सुनिश्चित करेगी कि क्रमशः वर्ष 2026—2027, 2027—2028, 2028—2029, 2029—2030 और 2030—2031 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक 30 प्रतिशत पर बना रहे;"

———

उद्देश्य और कारण

सोलहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने इस आशय की सिफारिश की है कि राजकोषीय समेकन के भाग के रूप में राज्यों को वर्ष 2026—2027, 2027—2028, 2028—2029, 2029—2030 और 2030—2031 में से प्रत्येक वर्ष अपने राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 03 प्रतिशत पर बनाये रखना चाहिये।

भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार राज्य सरकार राजकोषीय घाटे की सीमा नियत करने हेतु आशयित है।

राज्य सरकार, सम्बंधित वर्ष 2026—2027, 2027—2028, 2028—2029, 2029—2030 और 2030—2031 की समाप्ति पर अपना ऋण स्टॉक, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक 30 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु भी आशयित है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

———

No. 66(2)/LXXIX-V-1–2026-1-ka-6-2026
Dated Lucknow, February 25, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkosheeya Uttardayitva Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2026. The Vitt (Aay-Vyayak) Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2026

(U.P. Act no. 18 of 2026)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2026.

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 , in sub-section (3),– Amendment of Section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

(a) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(c) maintain fiscal deficit at not more than three percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031;"

(b) *for* clause (f), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(f) ensure that the total debt stock is maintained at not more than 30 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031 respectively;"

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Sixteenth Central Finance Commission has made recommendation to the effect that as part of fiscal consolidation, the States should maintain their fiscal deficit to a maximum of 3 percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031.

The Government of India has accepted this recommendation. The State Government is intended to fix ceiling Fiscal Deficit accordingly.

The State Government is also intended to limit its Debt Stock to not more than 30 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the respective Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2026 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 392 राजपत्र–2026–(1234)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 187 सा0 विधायी–2026–(1235)–30+270=300 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

392_RPH_ Adhiniyam folder _(Budget Management)-2026 Data-1e